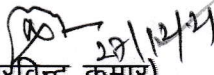


लीज तथा लीज अवधि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उ०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण कार्य हेतु वांछित भूमि लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। प्रस्तावित वन भूमि केवल प्रस्ताव के अनुसार 7.055 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि, बरेली-बदायूँ कैंण्ट मार्ग, चैनेज 0.800 से 5.100 तक आवश्यक है।

(समीर कुमार)
पभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बरेली


Forest Range Officer
Bareilly Range
Bareilly


(अरविन्द कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-भवन, लो०नि०वि०, बरेली
Executive Engineer
C.D. Building P.W.D.
Bareilly